न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS

पत्रावली संख्या : **38/24 (विविध)**

GCMS No. : 2024/155

अनवान्

1. श्री हरिशंकर पिता तुलसीनाथ ब्राहम्ण निवासी लोपडा तहसील मावली।

.............प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर (राज०)
2. पटवारी, पटवार हल्का लोपडा, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)

......................विपक्षीगण

उपस्थित—1. श्री अरूण पालीवाल, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. राजपेरोकार तहसीलदार मावली, विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 133 भू राजस्व अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांक : 19.02.2025

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 131, 133 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा लोपडा पटवार हल्का लोपडा तहसील मावली के आराजी नम्बर 1611/302, 1608/180, 1628/504, 1629/505, 1612/397 कृषि भूमि स्थित है जो वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड में मुझ प्रार्थी एवं मेरे परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर (जमाबन्दी के वर्णित हक एवं हिस्सेनुसार) संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज हैं।
2. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात मुझ प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदार की सहखातेदारी की होकर हमारे कब्जे उपयोग उपभोग में निरन्तर निर्बाध रूप से चली आ रही है जो कृषि भूमि मुझ प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारों को विरासत में प्राप्त हुई है और हमने हमारी उक्त कृषि भूमि को विकसित कर उपजाऊ बनाने के लिए काफी लागत लगाई एवं परिवार सहित परिश्रम कर जमीन को उपजाऊ बनाकर आवादान की है तथा हम सभी अपनी सहखातेदारी अधिकार की कृषि भूमि पर अपने—अपने हक एवं हिस्सेनुसार परिवार सहित शांतिपूर्वक काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। हमारी उक्त कृषि भूमि में अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक दखल अधिकार नहीं हैं।
3. यह कि उक्त वर्णित कृषि भूमि पर हम सभी सहखातेदार वर्षों से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है किन्तु अभी दिनांक [illegible].02.0[illegible].2024 को जब मैने मेरी सहखातेदारी की उक्त वर्णित कृषि भूमियों के ऑनलाईन फीड किये गये राजस्व नक्शा ट्रेस मय जमाबन्दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:34:11 IST
Reason: SelfAttested

की प्रति पटवारी जी से प्राप्त की तो उसमें मुझ प्रार्थी की उक्त वर्णित सहखातेदारी आराजीयात के मौके की स्थिति को अकारण ही तब्दील करते हुए गलत तरमीम अर्थात मूल आराजी नम्बर 302 के उत्तरी भाग पर पैमुद आराजी नम्बर 302/2 (नये नम्बर 1611/302) को पश्चिमी भाग पर एवं दक्षिणी भाग पर पैमुद आराजी नम्बर 302/1 को पूर्वी भाग पर तरमीम कर दी गई। इसके अलावा मूल आराजी नम्बर 180 के पश्चिम भाग पर पैमुद आराजी नम्बर 180/2 (नये नम्बर 1608/180) को पूर्वी भाग पर एवं पूर्वी भाग पर पैमुद आराजी नम्बर 180/1 (नये नम्बर 180) को पश्चिमी भाग पर पैमुद कर दी गई। इसी वर्तमान आराजी नम्बर 1628/504, 1629/505 को भी गलत पैमुद कर दी गई और वर्तमान आराजी नम्बर 1612/397 के भाग में आराजी नम्बर 1795/1700 पैमुद कर दी गई, का ज्ञान हुआ। जबकि पूर्व के राजस्व नक्शा ट्रेस में पैमुद अनुसार ही इन सभी आराजीयात का सेग्रीगेशन के दौरान ऑनलाईन फीड हूवे नक्शें में तरमीम कर पैमुद किया जाना चाहिए था। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर द्वारा प्रकरण संख्या 226/1986 रे.वाद में पारित किये गये निर्णय एवं डिक्री की पालना में पटवारी द्वारा तैयार किये बंटवाडा प्रस्ताव में संलग्न पूर्व का राजस्व नक्शा ट्रेस एवं वर्तमान का राजस्व नक्शा ट्रेस में अवलोकनार्थ साथ संलग्न हैं। मुझ प्रार्थी को नक्शा ट्रेस में हमारी उक्त कृषि भूमि गलत तरमीम होने के बारे में ज्ञात होने पर मैने इसके सम्बन्ध में जानकारी कराई तो सेग्रीगेशन के दरमियान रेवेन्यु एजेन्सी द्वारा गफलत पूर्वक हमारी भूमिया गलत तरमीम करने का पता चला।

4. यह कि इस तरह रेवेन्यु एजेन्सी द्वारा सेग्रीगेशन के दौरान अकारण हमारी भूमिया गलत तरमीम कर राजस्व नक्शा ट्रेस में जानबुझकर अशुद्वि उत्पन्न कर दी गई है जिससे हमारी इन आराजीयात के मौके की स्थिति में भिन्नता उत्पन्न हो गई और अब इस गलत तरमीम का इसका पडौसी खातेदार नाजायज फायदा उठाते हुए हमारी आराजीयात पर अतिक्रमण कर कब्जा करने के प्रयास कर रहा है और कब्जा करने की नियत से ही हमारे कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में निरन्तर दखलन्दाजी भी उत्पन्न कर रहे है। राजस्व नक्शा में गलत तरमीम होने से हमे हमारी कृषि भूमि के उपयोग उपभोग करने में भारी अडचन का सामना करना पड रहा है। पूर्व के नक्शें एवं वर्तमान राजस्व नक्शें को खुली ऑखो से देखने मात्र से ही सब कुछ स्पष्ट हो रहा है कि सेग्रीगेशन के दरमियान रेवेन्यु एजेन्सी द्वारा राजस्व नक्शें में गफलत करते हुए अशुद्वि उत्पन्न की हैं।

5. यह कि मुझ प्रार्थी ने सेग्रीगेशन के कार्य के दरमियान राजस्व नक्शा में हुई गफलत (गलत तरमीम) को दुरूस्त करवाने हेतु तहसीलदार सा. मावली एवं पटवारी के समक्ष हाजिर होकर निवेदन किया गया तो इनके द्वारा नक्शे में हुई गफलत (गलत तरमीम) को दुरूस्त करने में असमर्थता प्रकट करते हुए राजस्व नक्शे में सही तरमीम एस.डी.एम. सा.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:34:11 IST
Reason: SelfAttested

के आदेश से ही होने की बात बताई। इसलिए अविलम्ब यह प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

6. यह कि उक्त वर्णित कृषि भूमि को सेग्रीगेशन के दौरान राजस्व अधिकारियों द्वारा राजस्व नक्शा ट्रेस में गलत तरमीम कर दिये जाने से मुझ प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारों को भारी असुविधा एवं कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है तथा हमे भारी मानसिक पीडा भी भोगनी पड रही है इसलिए मैं प्रार्थी पूर्व के राजस्व नक्शे अनुसार ही मेरी उपरोक्त वर्णित आराजीयात को एवं पडौसी खातेदारों की आराजीयात को राजस्व नक्शा ट्रेस में सही तरमीम करवाकर पूर्ववत स्थिति बहाल कराने का अधिकारी हूं, इसलिए आप न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र मेरी ओर से प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

7. यह कि मुझ प्रार्थी को राजस्व नक्शा में हमारी आराजीयात गलत तरमीम होने की जानकारी दिनांक 02.04.2024 को ऑनलाईन फीड हुवे राजस्व नक्शा ट्रेस मय जमाबन्दी की प्रति पटवारीजी से प्राप्त कर देखने पर हुई और जानकारी होते ही वांछित दस्तावेज प्राप्त करके यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि पेश किया जा रहा हैं।

8. अन्त में निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी नम्बर 1611/302, 1608/180, 1628/504, 1629/505, 1612/397 को मौके एवं पूर्व के नक्शें में पैमुद अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस में सही तरमीम कराये जाने का उचित आदेश फरमाया जावे।

9. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार मावली द्वारा रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लोपडा पटवार हल्का लोपडा की आराजी नम्बर 180 जो कि तेजशंकर पुत्र उंकारलाल 1/3 ब्रा. एवं आराजी नम्बर 1608/180 हरिशंकर पिता तुलसीनाथ 2/9 ब्रा. वगैरह दर्ज रिकार्ड है जो कि आराजी नम्बर 180 पश्चिम में आराजी नम्बर 1608/180 पूर्व दिशा में राजस्व नक्शा में दर्ज हैं। मौके पर आराजी नम्बर 1608/180 के खातेदार पश्चिम में एवं 180 के खातेदार द्वारा पूर्व में कब्जा काश्त की जा रही हैं। आराजी नम्बर 1611/302 जो कि राजस्व नक्शा में पश्चिम दिशा में दर्ज हैं। आराजी नम्बर 302 जो पूर्व दिशा में दर्ज है। मौके पर दोनो आराजी नम्बर खातेदारों द्वारा उत्तर एवं दक्षिण दिशा में कब्जा काश्त की जाकर कोई विवाद नहीं है। उत्तर दिशा में हरिशंकर पिता तुलसीनाथ ब्राहम्ण एवं दक्षिण दिशा में 302 में दर्ज खातेदारों का कब्जा काश्त है। आराजी नम्बर 504, 505 कृष्ण गोपाल पिता मोहन शंकर 1/9 जाति ब्राहम्ण एवं आराजी नम्बर 1628/504, 1629/505 हरिशंकर पिता तुलसीनाथ 2/9 ब्रा. दर्ज रिकार्ड होकर राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी पूर्व एवं पश्चिम दिशा में दर्ज है। मौके पर खातेदार उत्तर एवं दक्षिण दिशा में कब्जा काश्त कर रखे है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का मय मौका पर्चा, नक्शा ट्रेस एवं जमाबन्दी नकल मूल ही संलग्न कर श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:34:11 IST
Reason: SelfAttested

10. हमने प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी व राजपेरोकार की बहस को सुना। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित किया जाने का निवेदन किया।

11. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रकरण में वर्णित आराजीयात के संबंध में उप जिलाधीश वल्लभनगर जिला उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 226/86 उनवान उंकार लाल बनाम तुलसीनाथ में बंटवाड़े की डिक्री जारी की गई। उक्त डिक्री अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में पालना की गई तथा डिक्री के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार खातेदार अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। जिससे तहसीलदार मावली द्वारा भी स्वीकार किया गया। तहसीलदार द्वारा मौके पर खातेदार कैसे काबिज है उसकी रिपोर्ट करते हुए साथ में प्रस्तावित नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया। जिसका मिलान डिक्री के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस से हो रहा है। इससे स्पष्ट है कि राजस्व कर्मचारियो द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम डिक्री के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार नही कर अपनी मनमर्जी से तरमीम कर दी गई। जिसका उन्हे कोई अधिकार नही था। राजस्व कर्मचारियो को डिक्री के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम करनी चाहिए थी। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थी की भूमि की तरमीम साबिक नक्शे अनुसार नही है। अत : प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 133 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा लोपड़ा पटवार हल्का लोपड़ा तहसील मावली के आराजी नम्बर 1608/180, 1611/302, 1628/504, 1629/505 के संबंध में उप जिलाधीश वल्लभनगर के प्रकरण संख्या 226/86 में पारित डिक्री के अनुसार संलग्न प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व रिकार्ड में तरमीम की जावे। प्रस्तावित नक्शा ट्रेस इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:34:11 IST
Reason: SelfAttested